

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/एस-865/2018/


दिनांक:-

संशोधित आदेश

मननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस0 बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 18220/2016 में पारित निर्णय दिनांक 05.05.2017 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक ई- /म0स्वा0कार्य0/(सीधी भर्ती-2013)/2017/131 दिनांक 24.01.2018 द्वारा श्रीमती सरोजबाला पुत्री श्री जेटुराम (आई.डी. नं0 6030003237) का महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर चयन किया जाकर पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के अधीन किया गया है।

उनका पदस्थापन उनकी स्वयं की प्रार्थना पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद पर किया जाता है जहां उन्हें दिनांक 13.02.2018 तक कार्यग्रहण करना होगा।

आदेश दिनांक 24.01.2018 की शेष शर्तें यथावत लागू रहेगी।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 21/2/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/एस-865/2018/ 300

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक, (जन स्वा./प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
7. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
8. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन-उदयपुर/जयपुर।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर/जयपुर प्रथम।
11. संबंधित केस प्रभारी अधिकारी एवं समन्वयक।
12. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को भी ई-मेल करे।
13. श्रीमती सरोजबाला पुत्री श्री जेटुराम पत्नी श्री शंकर लाल स्वामी ग्राम इन्द्रापुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति नियत तिथि तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम को प्रस्तुत करें अन्यथा आदेश निरस्त समझे जावेंगे।
14. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर